रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2007.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 16 जून, 2007/26 ज्येष्ठ, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

मण्डी, 17 मई, 2007

संख्या: पी० सी० एच०-एम० एन० डी०-2746-51.—खण्ड विकास अधिकारी, गोपालपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या: 476, दिनांक 11-5-2007 के अन्तर्गत सूचित किया है, कि प्रधान, ग्राम पंचायत थौना द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया है, जिसके अन्तर्गत उक्त प्रधान के विरुद्ध निम्न आरोप सिद्ध होते हैं :—

1. यह कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला थौना हेतु दो कमरे के निर्माण के लिए एस० एस० ए० मद्द के अन्तर्गत मु० 2 लाख रूपये स्वीकृत हुए थे तथा खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय द्वारा आपको मु०: 1,60,000/-रुपये जारी किये जा चुके है तथा आप द्वारा ग्राम पंचायत के खाता से मु०: 1,60,000/-रुपये निकाले जा चूके है, जबकि सहायक अभियन्ता (विकास), गोपालपुर द्वारा की गई मूल्यांकन रिर्पोट अनुसार उक्त कार्य पर मु०: 1,18,414 रुपये को कुल लागत बनती है। इस प्रकार प्रधान द्वारा मु०: 41586/-रुपये की राशि का दुरुपयोग किया है।
2. यह कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला थौना में एक कमरे के निर्माण के लिए एमपीलैंड मद से मु:0 80,000/-रुपये स्वीकृति हुए थे तथा खण्ड विकास कार्यालय द्वारा उक्त कार्य हेतु पंचायत को मु:0 71,000/-रुपये जारी किये जा चुके हे, और आप द्वारा पंचायत खाता से

मु0: 71,000/-रुपये प्राप्त किये जा चुके हैं, जबकि सहायक अभियन्ता (विकास) गोपालपुर द्वारा की गई मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार उक्त कार्य पर मु0: 69073/-रुपये की कुल लागत बनती है। इस प्रकार आप द्वारा मु0: 1927/-रुपये की राशि का दुरुपयोग किया है।

3. यह कि पंचायत अभिलेख के निरीक्षण के समय बिना हस्ताक्षरित 3 नम्बर कुटेशन रेत व बजरी की अभिलेख में रखी गई थी, तथा आप द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी और एक कुटेशन पर काटछाट भी की गई थी जो कि पंचायती राज वित्तीय नियमों की स्पष्ट उलंघना है।

4. यह कि निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्री जैसे: सरिया, ईंट व सैंटरिंग बिना न्यूनतम कुटेशनें प्राप्त किये ही क्रय कर लिये गये थे जो कि स्पष्ट रूप से नियमों की उल्लंघना है।

5. यह कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला, थौना के निर्माण हेतु वाउचर संख्या: 5 द्वारा क्रय बजरी मु0: 6,000/-रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से कुल 12,000/-रुपये की अदायगी श्री चिन्त राम, शेर सिंह को की गई थी परन्तु उन द्वारा प्राप्त निविदा में बजरी मु0:5500/-रुपये धनेटा से व मु0 4500/-रुपये कसा से उक्त पाठशाला के समीप सड़क पर देना स्वीकार किया था, परन्तु आप द्वारा उक्त निविदा को नजर अंदाज करके मु0 6,000/-रुपये प्रति गाड़ी की दर से उक्त सामग्री क्रय कर ली गई तथा वाउचर में यह भी स्पष्ट नहीं कि किस स्थान से ढुलवाई की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि आप द्वारा न्यूनतम निविदा से अधिक व्यय किया गया है।

6. यह कि प्राथमिक पाठशाला थौना में सैंटरिंग व सरिया बिछाने का व्यय मु0 2000/- दिनांक 7-3-2007 को दर्ज किया गया था लेकिन दिनांक 27-4-2007 को स्थल का निरीक्षण करने पर मौका पर कोई भी सैंटरिंग व सरिया आदि का कार्य नहीं हुआ था जिसे मु0 20,000/-रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है।

7. यह कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला थौना के मस्ट्रोल मास मार्च, 2007 के अन्तर्गत मु0 11960/-रुपये की अदायगी की गई है। उक्त मस्ट्रोल सादे कागज पर बनाया गया है और सक्षम अधिकारी द्वारा भी जारी नहीं किया गया है जबकि समस्त पंचायतों को जिला पंचायत अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र पर मस्ट्रोल समस्त पंचायतों को जारी किये गये है। इस प्रकार प्रधान द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों की उल्लंघना की गई है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री रंगीला राम प्रधान ग्राम पंचायत थौना द्वारा सरकारी धन राशि का दुरुपयोग तथा पंचायती राज नियमों व अधिनियमों की स्पष्ट अवहेलना की है।

अत: मैं, सुभाशीष पाण्डा, उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित) की धारा 145 (एक) (ग) तथा पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रंगीला राम, प्रधान, ग्राम पंचायत थौना, विकास खण्ड गोपालपुर को एतद्द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उन्हें कर्त्तव्यों के प्रति अवहेलना व कर्तव्यों का दुरुप्रयोग करने पर प्रधान पद से निलम्बित किया जाये तथा उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस पत्र के जारी होने से 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है और इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

सुभाशीष पाण्डा,
उपायुक्त,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित